

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:- 385 / 2016
प्रविष्टि दिनांक:- 08.12.2016

लादू पुत्र हरदेवा जाति बैरवा निवासी रामपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
..... अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार, दूनी जिला टोंक राजस्थान। रेस्पोजेण्ट

अपील अ0 धारा 75 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
दिनांक 12.11.2016 नायब तहसीलदार, दूनी प्रकरण सं0 1181 / 2016

उपस्थित: (1)श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 16.12.2016

1. अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार दूनी ने अपने निर्णय दिनांक 12.11.2016 के द्वारा सम्वत 2073 में अपीलाण्ट को आराजी ख0नं0 254 रकबा 0.20 हे0 वाके ग्राम रामपुरा तहसील दूनी पर किये गये अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर बेदखल करने एवं लगान का 50 गुना 80/-रूपये पेनल्टी कायम करते हुए 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। अपीलाण्ट ने उक्त आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा तलबी जरिये नोटिस रेस्पोजेण्ट की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भी तलब की गई। बहस अभिभाषक अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय/चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण कर फसल काश्त नहीं की है, अपीलाण्ट का तथाकथित भूमि से कोई संबंध भी नहीं है, अपीलाण्ट को सजायाब किये जाने से पूर्व सुनवाई, साक्ष्य सबूत का अवसर नहीं दिया गया। मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है इस बाबत कोई स्पीकिंग आदेश भी जारी नहीं किया है, निर्णय में यह भी उल्लेख यह भी उल्लेख नहीं किया है कि पूर्व में अपीलाण्ट को किस तारीख वास्तविक रूप से बेदखल किया गया और अपीलाण्ट द्वारा किस तारीख का उक्त भूमि पर पुनः अतिक्रमण किया। अपीलाण्ट को पूर्व में बेदखल किये जाने बाबत हलका पटवारी द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है और न ही इस बाबत कोई विश्वसनीय सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये हैं जिससे अपीलाण्ट के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.11.2016 निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

4. राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सम्वत 2073 में अपीलान्ट ने चरागाह भूमि पर कब्जा किया है। पूर्व में भी सम्वत 2072 में इसी विवादित भूमि पर अपीलान्ट ने अतिक्रमण किया था जो बयान गवाह हल्का पटवारी एवं गत वर्ष की मिसल से सिद्ध है। गत वर्ष अपीलान्ट द्वारा किये जाने पर उसे बेदखल भी कर दिया गया था परन्तु अतिक्रमियों ने पुनः उक्त विवादित भूमि पर पुनः कब्जा कर लिया, अतिक्रमी अतिक्रमण करने के आदि है जिससे उनका चरागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना जाहिर है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी का निर्णय दिनांक 12.11.16 उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का फैसला यथावत रखा जावे।

5. हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का कनवाडा ने अपीलान्ट द्वारा सम्वत 2073 में ख0नं0 254 रकबा 0.20 हे0 भूमि चरागाह वाके ग्राम रामपुरा पर बाजरा की फसल काशत कर किये गये अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर नायब तहसीलदार दूनी ने अपने निर्णय दिनांक 12.11.16 द्वारा विवादित भूमि से बेदखल करने, शास्ति कायम करने एवं सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में धारा 91 के नोटिस पर अपीलान्ट की चरपादगी से तामील कराई गई है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया किन्तु वह बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। बयान हल्का पटवारी में पूर्व में सम्वत 2072 में अपीलान्ट द्वारा इसी विवादित भूमि में अतिक्रमण करने पर उन्हें गत वर्ष भी बेदखल कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं गत वर्ष की मि0नं0 389/16 व फर्द बेदखली से जाहिर है, फिर भी पुनः अतिक्रमण कर लिया, इससे स्पष्ट है इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, गत बेदखली की मिसल आदि से अपीलान्ट का उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध है। वैसे भी विवादित भूमि चरागाह भूमि सार्वजनिक उपयोग एवं हित की भूमि है जो राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में से है तथा धारा 16 में वर्णित भूमियां न तो नियमन की जा सकती है न ही आवण्टन की जा सकती है और न इन पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

6. फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय (नायब तहसीलदार, दूनी) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2016 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 16.12.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज0)

